न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 38/2013

—:: निर्णय ::—

दिनांक:— 3.2.2020

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार लूणी के पत्रांकः भू.अ./डीआईएलआरएमपी/2019/3699 दिनांक 12.12.2019 के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.रा. अधिनियम 1956 में रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थीगण शिवाराम वगैरा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 अन्तर्गत पेश कर ग्राम शिकारपुरा के खसरा संख्या 581, 587, 597, 598, 601, 602, 604, 605, 606, 607, 637, 662/1, 662/2, 662/3, कुल खसरा 14, कुल रकबा 179.13 बीघा में खातेदार शिवदान पुत्र भोमा 1/12 का नाम लिपिकीय त्रूटि से दर्ज होने को हटाकर रिकॉर्ड दुरूस्ती करने का निवेदन किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। तामिली रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, तथा न ही उपस्थित हुए। एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

तहसीलदार लूणी ने प्रार्थना पत्र जवाब पेश कर ग्राम शिकारपुरा के खसरा संख्या–581, 587, 597, 598, 601, 602, 604, 605, 606, 607, 637, 662/1, 662/2, 662/3, कुल रकबा 179.13 बीघा में जमाबन्दी सेग्रीगेशन के तहत् सहखातेदारों का हिस्सा एक होना आवश्यक है, परन्तु उक्त खसरों में हिस्सा एक न होकर एक से 1/12 अधिक हो रहा है। मिसल बन्दोंबस्त, जमाबंदी सम्वत् 2012–2014, 2015–2018 एवं 2019–2023 से जॉच करने पर पाया कि मांगीलाल, भंवरलाल पिता बस्ताराम चम्पा पत्नी बस्ताराम, पुना पुत्र शिवदान हिस्सा 1/12 के पूर्वज शिवदान पुत्र भौमा 1/12 का नाम दर्ज नहीं था, परन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2019–2023 में शिवदान पुत्र भौमा 1/12 लिपिकीय त्रुटि से दर्ज हुआ। शिवदान पुत्र भौमा 1/12 के वारिसान मांगीलाल वगैरा के नाम हटाकर रिकॉर्ड दुरूस्ती करने पर सभी सहखातेदारों का उक्त खसरों में हिस्सा एक हो जाता है। मांगीलाल वगैरा का वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 166 से नाम हटाकर रिकॉर्ड दुरूस्ती का निवेदन किया ।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के स्वीकार किया जाता है। तहसीलदांर लूणी की तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 12.12.2019 के अनुसार मिसल बन्दोबस्त संवत् 2012 एवं जमाबन्दी संवत् 2015–18 में मांगीलाल, भंवरलाल पिता बस्ताराम चम्पा पत्नी बस्ताराम, पुना पुत्र शिवदान हिस्सा 1/12 के पूर्वज शिवदान पुत्र भौमा हिस्सा 1/12 का नाम दर्ज नहीं था, परन्तु जमाबन्दी संवत् 2019–23 में शिवदान पुत्र भौमा, हिस्सा 1/12 लिपिकीय त्रुटि से दर्ज होने से हटाने का निवेदन किया हैं। अतः तहसीलदार लूणी को आदेश दिये जाते है कि जमाबन्दी संवत् 2015–18 के अनुसार रिकॉर्ड दुरूस्ती करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 3.2.2020 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल परिहार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner